



कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (भूगोल) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने के कारण उनकी सेवाएं निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर कॉलम संख्या 7 में अंकित तिथि से समाप्त की जाती है।

| क्र. सं. | नाम कार्मिक एवं Employee ID | पदस्थापन स्थान राउमावि. /साबाउमावि. | मृत्यु प्रमाण-पत्र क्रमांक | जन्मतिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|----------|--|-------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | श्री दलपतराम मेघवाल (RJUD199137008251) | सारोली, खेरवाड़ा (223436) उदयपुर | 08130006950058500 013/2020 | 01.01.1963 | 20.09.2020 | 20.09.2020 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक


माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक 22/10/2020

क्रमांक:- शिदिरा/मा/संस्था/सी-5/सेवा समाप्ति/2017/348

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग राजस्थान।
- उपनिदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग।
- संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
- संबंधित प्रधानाचार्य।
- संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री/श्रीमती.....।
- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/ओएसी/एसीआर प्रभाग को प्रेषित कर लेख है कि कार्मिक श्री दलपतराम मेघवाल डीपीसी वर्ष- 2011-12 में पदोन्नत द्वितीय श्रेणी (वरि. क्रमांक 1874, वरि. अवधि 2005-06) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर


आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

| क्र. स. | नाम कार्मिक श्री/श्रीमती | पदस्थापन स्थान (राजमाधि/राजउमाधि) | कार्मिक आई.डी. | जन्म तिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|---------|--------------------------|-----------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | मीना कुमारी बुबावत | अयाना, इटावा, कोटा | RJKO201827056871 | 22.12.1978 | 15.08.2020 | 15.08.2020 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम - 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।


(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

दिनांक:- 22/08/2020

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./सेवासमाप्ति/2019/1/02

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिक मीना कुमारी बुबावत के चयन वर्ष पीएसी-2015 के मेरिट क्रमांक-2230 की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

आदेश

निम्नांकित प्राध्यापक (राजनीति विज्ञान) का निधन उनके नाम के सामने अंकित दिनांक को हो जाने एवं स्थानीय निकाय से जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर नाम के सामने अंकित दिनांक से इनकी सेवाएं समाप्त की जाती है।

| क्र.स | नाम कार्मिक श्री/श्रीमती | पदस्थापन स्थान (राउमावि/राबाउमावि) | कार्मिक आई.डी. | जन्म तिथि | निधन दिनांक | सेवा समाप्ति दिनांक |
|-------|--------------------------|------------------------------------|------------------|------------|-------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | विजय कुमार पाठक | ठीकरिया, रांसवाडा | RJBN199703002766 | 21.10.1971 | 16.09.2020 | 16.09.2020 |
| 2 | सुरेश कुमार सोनी | कुशीप, सिवाना, बाडमेर | RJBM198705009659 | 10.07.1965 | 12.09.2020 | 12.09.2020 |
| 3 | हनुमान लाल डिडेल | भुम्बलिया, जैतारण पाली | RJPA199529007974 | 01.07.1971 | 21.09.2020 | 21.09.2020 |

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित उक्त कार्मिक के विरुद्ध आज तक-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम = 1958 के नियम -16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।



(सौरम स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक,


माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

दिनांक:- 22 /10/2020

क्रमांक : शिविरा/मा/संस्था/सी-6/रा.वि./सेवासमाप्ति/2019 | 27
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग
2. उपनिदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग.....
3. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
5. संबंधित प्रधानाचार्य
6. संबंधित आश्रित स्वर्गीय श्री
7. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
8. अनुमाग अधिकारी वरिष्ठता/गोपनीय प्रतिवेदन को प्रेषित कर लेख है कि उपरोक्त कार्मिकों विजय कुमार पाठक के डीपीसी वर्ष 2018-19 में पदोन्नत (वरि. क्रमांक 3254 वरि. अवधि 2011-12), सुरेश कुमार सोनी के डीपीसी वर्ष 2015-16 में पदोन्नत (वरि. क्रमांक 2060 वरि. अवधि 2007-08) सोनी तथा हनुमान लाल डिडेल के डीपीसी वर्ष 2018-17 में पदोन्नत (वरि. क्रमांक 2133 वरि. अवधि 1996-97) की वरिष्ठता विलोपन की कारवाई की जानी सुनिश्चित करें।
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर